रजिस्ट्री सं० डी एल(एन)-04/0007/2003-05 REGISTERED NO. DL(N)-04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 22—नवम्बर 28, 2003 (अग्रहायण 1, 1925)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOV. 22—NOV. 28, 2003 (AGRAHAYANA 1, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	1103
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	941
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1557
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1559
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	4727
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	9675
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	375
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

Page

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1103

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 941

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. 5

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. 1557

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .. *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations .. *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).

Page

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .. *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. .. 1559

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .. 4727

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners .. *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. 9675

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .. 375

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .. *

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2003

संकल्प

सं० 55-46/2003-ए एच टी.—इस मंत्रालय के दिनांक 28 अगस्त, 1998 के संकल्प संख्या 3-16/95 (सी डी) और समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गोसम्वर्धन सलाहकार परिषद को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाए ।

गोसम्वर्धन सलाहकार परिषद का संघटन

पुनर्गठित परिषद का संघटन इस प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

1. कृषि मंत्री

उपाध्यक्ष

2. कृषि राज्य मंत्री

सदस्य

3. सचिव (पशुपालन एवं डेयरी)
4. अध्यक्ष, एन डी डी बी
5. पशुपालन आयुक्त
6. उप महानिदेशक (पशु विज्ञान), आई सी ए आर
7. संयुक्त सचिव (एल पी एंड एफ)
8. संयुक्त सचिव (डी बी टी)
9. संयुक्त सचिव (आर डी)

सदस्य-सचिव

10. संयुक्त आयुक्त (एल पी)

सदस्य

11. सचिव (ए एच), उत्तर प्रदेश
12. पशुपालन निदेशक, कर्नाटक
13. पशुपालन निदेशक, पश्चिम बंगाल
14. पशुपालन निदेशक, गुजरात
+15. रिक्त
+16. रिक्त
*17. रिक्त
*18. रिक्त
*19. रिक्त
*20. रिक्त
*21. रिक्त
*22. रिक्त
*23. रिक्त
*24. रिक्त
*25. रिक्त
*26. रिक्त
*27. रिक्त
*28. रिक्त
*29. रिक्त
*30. रिक्त
*31. रिक्त

+ लोक सभा/राज्य सभा द्वारा नामित किए जाएंगे ।

*कृषि मंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे ।

इस सलाहकार परिषद के निम्न कार्य होंगे :—

(1) गोपशुओं के संरक्षण, विकास प्रजनन, आहार और विपणन से जुड़ी हुई योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करना ।

(2) उपरोक्त किसी एक मामले में केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देना ।

(3) गोपशुधन विकास विशेषकर समुचित तर्ज पर गोशालाओं के विकास की समीक्षा और समन्वय करना ।

(4) देश के किसी भी क्षेत्र में गोपशुधन के विकास के लिए किसी अन्य कार्यों की शुरूआत करना जैसा कि भारत सरकार चाहती है ।

(5) गोपशु विकास के लिए जहां गैर-सरकारी संस्थानों का सहयोग अपेक्षित है, वहां बढ़ावा देने वाले क्रियाकलापों को शुरू करना, और

परिषद उस समय और उस स्थान पर आवधिक रूप से बैठक करेगी जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासन और भारत सरकार के

मंत्रालयों के विभाग, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय और अन्य संबंधित संगठनों को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

नीरजा राजकुमार
संयुक्त सचिव (एल पी एंड एफ)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(अनुसूचित जाति विकास प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्तूबर 2003

संकल्प

सं० 12016/9/2003-एस सी डी (आर एल सैल).—जबकि भारत सरकार को उन अनधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश तथा अर्धखानाबदोश "जनजातियों" की विकासात्मक जरूरतों की जानकारी है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य के बीच फैले हुए हैं ।

2. तथा जबकि संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अनधिसूचित "जनजातियों" को गलत रूप से अपराध प्रवण के रूप में कलंकित किया गया है और कानून-व्यवस्था के प्रतिनिधियों के द्वारा तथा सिविल सोसाइटी द्वारा कठोरता का व्यवहार और शोषण किया जाता है, इसने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय को अनधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश जनजातियों/समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास, रोजगार के अवसरों के सृजन, सामाजिक स्वतंत्रता तथा पूर्ण पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना चाहिए ।

3. अतः अब भारत सरकार ने उन अनधिसूचित जनजातियों, खानाबदोश तथा अर्धखानाबदोश "जनजातियों" के विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का संकल्प किया है ।

4. आयोग के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं :—

(क) अनधिसूचित, खानाबदोश तथा अर्धखानाबदोश "जनजातियों" की पहचान करना और उनमें जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ वर्गों में श्रेणीबद्ध किए गए में हैं, की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची तैयार करना;

(ख) अनधिसूचित, खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश "जनजातियों" की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक जरूरतों का अध्ययन करना;

(ग) भारत सरकार को उनके समग्र विकासात्मक पहलुओं के लिए अपेक्षित विशेष उपायों की सिफारिश करना; तथा

(घ) उनसे संबंधित या उनसे प्रासंगिक कोई अन्य सिफारिशें करना जिन्हें आयोग आवश्यक समझे ।

5. केन्द्र सरकार किसी राज्य सरकार तथा किसी अन्य प्राधिकरण, संगठन या व्यक्ति से आयोग ऐसी सूचना प्राप्त करेगा जो अपने प्रयोजनार्थ आवश्यक या संगत समझे ।

6. आयोग का एक अध्यक्ष होगा और उपयुक्त विशेषज्ञता वाले चार अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य-सचिव होगा ।

7. आयोग कार्यकरण के लिए अपनी ही प्रक्रिया तैयार करेगा और जब कभी जरूरी समझा जाए भारत के किसी भाग का दौरा करेगा ।

8. आयोग अपनी रिपोर्ट इस संकल्प की तारीख से एक वर्ष के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० नारायण मूर्ति
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 18th August 2003

RESOLUTION

No. 55-46/2003-AHT.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 3-16/95(CD) dt. 28th August 1998 and subsequent amendments issued from time to time the Government of India have decided to reconstitute the Gosamvardhana Advisory Council for a further period of three years with immediate effects.

COMPOSITION OF THE GOSAMVARDHANA ADVISORY COUNCIL

Composition of the reconstituted Council will be as follows :

Chairman

1. Minister for Agriculture

Dy. Chairman

2. Minister of State for Agriculture

Members

3. Secretary (AH&D)
4. Chairman, NDDB
5. Animal Husbandry Commissioner

6. Dy. Director General (Animal Science), ICAR
7. Jt. Secretary (LP&F)
8. Jt. Secretary (DBT)
9. Jt. Secretary (RD)

Member-Secretary

10. Jt. Commissioner (LP)

Members

11. Secretary (AH), UP
12. Director of Animal Husbandry, Karnataka
13. Director of Animal Husbandry, West Bengal
14. Director of Animal Husbandry, Gujarat
‡15. Vacant
‡16. Vacant
*17. Vacant
*18. Vacant
*19. Vacant
*20. Vacant
*21 Vacant
*22. Vacant
*23. Vacant
*24. Vacant
*25. Vacant
*26. Vacant
*27. Vacant
*28. Vacant
*29. Vacant
*30. Vacant
*31. Vacant

‡To be nominated by Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.

*To be nominated by the Agriculture Minister.

The functions of this Advisory Council will be as under :

(i) To review from time to time the schemes relating to the preservation, development, breeding, feeding and marketing of cattle.

(ii) To advice the Central and State Governments on any of the above matters.

(iii) To review and coordinate the development of cattle wealth particularly, development of gaushalas on proper lines.

(iv) To undertake any other functions as required by the Govt. of India for the development of cattle wealth in any area of the country.

(v) To undertake promotional activities for the development of cattle, especially where cooperation of the non-official institutions is required and

The Council will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman.

ORDER

1. Ordered that a copy of Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and the department of Ministries of the Govt. of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat & Rajya Sabha Secretariat and other concerned organizations.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NEERJA RAJKUMAR
Jt. Secy. (LP&F)

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(SCHEDULED CASTES DEVELOPMENT DIVISION)

New Delhi-110001, the 23rd October 2003

RESOLUTION

No. 12016/9/2003-SCD (R.L.Cell).—Whereas the Government of India has been seized of the developmental needs of the Denotified Tribes, Nomadic and Semi-nomadic 'Tribes', which are spread amongst the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and others.

2. And whereas the National Commission to review the working of the Constitution has also observed in its Report that the Denotified 'tribes' have been wrongly stigmatized as crime prone and subjected to high handed treatment as well as exploitation by the representatives of law & order as well as by the general society, it has, inter-alia recommended that the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Tribal Affairs should strengthen the programmes for the socio-economic development, educational development, generation of employment opportunities, social liberation and full rehabilitation of denotified tribes, nomadic and semi-nomadic tribes/communities.

3. Now, therefore, the Government of India has resolved to constitute a National Commission for one year to study the developmental aspects of the Denotified Tribes, Nomadic and Semi-nomadic 'Tribes'.

4. The Terms of Reference of the Commission are given below :—

(a) to identify Denotified, Nomadic and Semi-nomadic 'Tribes' and prepare a State/Union Teritory-wise list of those who have been categorized amongst them as Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes;

(b) to study socio-economic and educational needs of Denotified, Nomadic and Semi-nomadic 'Tribes';

(c) to recommend to the Government of India, the specific interventions required for their overall developmental aspects; and

(d) make any other recommendations connected therewith or incidental thereto, which the Commission considere nesessary.

5. The Commission may obtain such information as considered necessary or expedient for its purpose from the Central Government, any State Government and any other authority, organization or individual.

6. The Commission shall consist of a Chairperson and four other Members with suitable expertise, one of them will function as the Member Secretary.

7. The Commission will adopt its own procedure of working and may visit any part of India as when considered necessary.

8. The Commission shall submit its report within one year from the date of this Resolution.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Official Gazette.

P. NARAYANA MURTHY
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003